न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगणः–

1. कज्जाराम पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
2. हीराराम पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
3. छोटू पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
4. किशनी पत्नि बालुराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. गोपी पुत्र केशरा जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
2. गोमा पुत्र केशरा जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
3. मल्लाराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
4. मेवाराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
5. रेखाराम पुत्र केशरा जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
6. बोदुराम पुत्र केशराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
7. जेठाराम पुत्र पुसाराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
8. नंदाराम पुत्र पुसाराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
9. हीरा पुत्र पुसाराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
10. हनुमान पुत्र पुसाराम जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
11. मगली पत्नि हीरा जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
12. बोदी पत्नि श्रवण जाति जाट निवासी पांचोता तहसील नावां।
13. राज. सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां भूमिधारी।
14. उप पंजीयक नावां तहसील नावां।

<u>दावा वास्ते इस्तकरार हक व भू–विभाजन</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित :– श्री जग्गाराम अधिवक्ता वादीगण
श्री रामेश्वरलाल भींचर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7 ता 11

मुकदमा नम्बरः–205/2021 निर्णय दिनांकः– 09.02.2024

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम पांचोता पटवार हल्का पांचोता तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 677 रकबा 2.06 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 2.10 हैक्टर भूमि स्थित है। उपरोक्त खसरा आराजीयात में [illegible] वादीगण 1/32 हिस्सा कब्जे शुदा खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड में स्थित चला आ रहा है। वादीगण संयुक्त रूप से अपने हक व हिस्से व कब्जे शुदा खातेदारी अधिकारी की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हिस्सा 1/16 राज. रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है जो मौके पर कब्जा काश्त वादीगण के कब्जा काश्त में है। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा का काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 का नाम अन्य शेष 1/2 हिस्से में काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण 1 ता 6 को वादीगण ने अन्य खसरान भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि दे दी है इसलिए उपरोक्त खसरा नम्बर 677 रकबा 2.06 हैक्टर व खसरा नम्बर 676 रकबा 0.04 हैक्टर वादीगण संख्या 1 ता 4 को 1/4–1/4 खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व उक्त आराजीयान भूमि में से प्रवितादी संख्या 1 ता 6 का नाम हटाया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 आज दिन मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। उपरोक्त खसरा आराजीयात भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों ने मौके पर आज से करीबन 20–30 वर्ष पूर्व ही भौतिक बंटवारा कर लिया था तथा भौतिक बंटवारे अनुसार ही अपने अपने हक व हिस्से में आई भूमि पर सींव डोल लगाकर सीमा कायम कर काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त खसरान की भूमि में से अपने हक व हिस्से की भूमि पर निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। वादीगण अपनी कब्जे शुदा खातेदारी अधिकारों की भूमि का भौतिक बंटवारे अनुसार व कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाररा करवाकर भू–विभाजन व इस्तकरार हक की डिक्री पाने के पूर्ण कानूनी मुश्तहक है। मौजा ग्राम पांचोता पटवार हल्का पांचोता तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 677 रकबा 2.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 676 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 2.10 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्से में काबिज किया जावे । वादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 इनके दादा पिता भाई होने के कारण खातेदारी भूमि में नाम दर्ज हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 पूर्व में उक्त खसरान में काबिज एवं काश्त नहीं करते है और उनके मौके पर कब्जा काश्त नहीं है तथा वादीगण संख्या 1 ता 4 उक्त खसरान की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण संख्या 1 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण की भूमि का भौतिक कब्जा काश्त व बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू–विभाजन किया जावे इस आशय की इस्तकरार हक व भू–विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 677, 676 कुल रकबा 2.10 हैक्टर भूमि को वादी संख्या 1 ता 4 के हिस्से में 1/2 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को वादीगण ने अन्य खसरान की भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि दे दी है इसलिए उपरोक्त खसरान की भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 आज दिन मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। उक्त खसरान में इनका नाम हटाया जावें तो हम उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है तथा इसमें हमारी पूर्ण सहमति हैं। प्रतिवादी संख्या 13, 14 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल भींचर ने आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसपर अधिवक्ता वादी ने नो आब्जेक्शन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल भींचर ने जवाबदावा कलेम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 676, 677 कुल रकबा 2.10 हैक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी दर्ज चली आ रही है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से का मौखिक बंटवारा आज से करीबन 30–35 वर्ष पूर्व में कर रखा है व वादीगण व प्रतिवादीगण शामलाती खातेदार दर्ज चला आ रहे है। उक्त भूमि की प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

संख्या 12 बोदी पत्नि श्रवण व जीवणदेवी पत्नि हनुमानराम जाट ने राजस्व ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 427, 428, 429, 431, 432, 434, 679 कुल रकबा 9.83 हैक्टर व खसरा नम्बर 430, 433 कुल रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 426 रकबा 2.50 हैक्टर व खसरा नम्बर 676, 677 कुल रकबा 2.10 हैक्टर भूमि का इकरारनामा मय बंटवारानामा दिनांक 13.12.2000 को हनुमानराम, नंदाराम, हीराराम व जेठाराम पिसरान पुसाराम के पक्ष में जरिये इकरारनामा मय बंटवारा किया था व प्रतिवादी संख्या 12 बोदी पत्नि श्रवण ने उक्त खसरान भूमि का भौतिक बंटवारा कर आपसी सहमति से मुद्राक रूप्ये 100 व दो पाईप पेपर पर इकरारनामा मय बंटवारा बैचान जरिये शपथ आयुक्त द्वारा तस्दीक करवाया गया है। खसरा नम्बर 676 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 12 की भूमि 1/8 हिस्से की भूमि में से जरिये इकरारनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 12 बोदी पत्नि श्रवणराम का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 के नाम खातेदार घोषित फरमाया जावे जो मौके पर प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 के कब्जे काश्त एवं सिंचाई में आ रहा है एवं खसरा नम्बर 676 रकबा 0.04 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 का नाम खातेदार दर्ज की जावे व खसरा नम्बर 677 रकबा 2.06 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 जेठाराम 1/16 व प्रतिवादी संख्या 8 नंदाराम का 1/16 व प्रतिवादी संख्या 9 हीरा का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 हनुमान का हिस्सा 1/16 खातेदारी भूमि दर्ज चला आ रहा है व प्रतिवादी संख्या 11 मंगली पत्नि हीराराम का 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार है तथा उक्त खसरान भूमि न्यायालय हाजा ने वादीगण ने अलग अलग दो वाद पेश किये है जो खसरा नम्बर 428 रकबा 0.58 हैक्टर भूमि का वाद पत्र पेश किया जिसका वाद संख्या 203/21 अनुवान गोमा बनाम कज्जाराम वगैरह में खसरा नम्बर 428 रकबा 0.58 हैक्टर भूमि किस्म गै.मु. ढाणी में वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को यथावत रखी है जो प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 की आई 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण ने खसरा नम्बर 677 मौके पर भौतिक बंटवारा व कब्जा काश्त बाहजोत के लिए भूमि दी थी जो मौके पर भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के कब्जे में है व खसरा नम्बर 676 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि 1/2 व खसरा नम्बर 428 रकबा 0.58 हैक्टर भूमि का 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 काबिज व खसरा नम्बर 677 भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रत्येक का हिस्सा 1/16 व प्रतिवादी संख्या 11 मंगलीदेवी का हिस्सा 1/4 पर कब्जा काश्त खातेदार एवं काबिज चले आ रहे है। खसरा नम्बर 428 रकबा 0.58 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के नाम हटाया जावे व खसरा नम्बर 677 रकबा 2.06 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 के कब्जे काश्त में आई हुई भूमि का नजरी नक्शा अलग से बनाकर जवाब दावा के साथ पेश किया। वादीगण के वाद पत्र को मय खर्चे हर्जे सहित खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बिरमाराम ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम पांचोता के खसरा नम्बर 677, 676 कुल रकबा 2.10 हैक्टर भूमि में से वादीगण संख्या 1 ता 4 को 1/2 हिस्से काबिज काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 6 इनके दादा पिता भाई होने के कारण खातेदारी भूमि में नाम दर्ज हो गया था। प्रतिवादी संख्या 6 पूर्व में उक्त खसरान भूमि में काबिज काश्त नहीं करते है उनका मौके पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 6 [illegible] उक्त खसरान भूमि में से प्रतिवादी संख्या 6 को अपने हक हिस्से की भूमि दे दी है इसलिए उपरोक्त खसरा आराजीयात भूमि में से प्रतिवादी संख्या 6 का नाम [illegible] जावे तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है तथा इसमें हमारी पूर्ण सहमति हैं। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादीया किशनी, पी.डब्ल्यू.2 वादी छोटू, पी.डब्ल्यू.3 वादी हीराराम, पी.डब्ल्यू.4 गवाह भंवरलाल व पी.डब्ल्यू.5 गवाह सुवालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मावां (डीडवाना-कुचामन)

के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। एवं वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में चालू जमाबंदी नकल प्रदर्श 1, 2 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में डी.ब्ल्यू.1 प्रतिवादीया मंगली, डी.ब्ल्यू.2 प्रतिवादी जेठाराम, डी.ब्ल्यू.3 गवाह रामूराम, डी.ब्ल्यू.4 गवाह छोटूराम के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। वादीगण व प्रतिवादीगण तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा ग्राम पांचोता पटवार हल्का पांचोता तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 677 रकबा 2.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 676 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 2.10 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 12 बोदी पत्नि श्रवण की खातेदारी यथावत रखते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 की भूमियों का मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों अनुसार भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ग्राम पांचोता पटवार हल्का पांचोता तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 677 रकबा 2.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 676 रकबा 0.04 हैक्टर कुल रकबा 2.10 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 12 बोदी पत्नि श्रवण की खातेदारी यथावत रखते हुए मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:57 IST
Reason: SelfAttested